केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना
प्रशासनिक प्रभाग

रिक्ति परिपत्र

विषयः केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक के पद को प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) के आधार पर भरने के सम्बन्ध में।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक समूह "क"/राजपत्रित (गैर-अनुसचिवीय) की श्रेणी में, परिवर्तन के अध्यधीन 09 रिक्त पदों को वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 (पूर्व संशोधित पीबी-3, 15600-39100/-रु.+5400/-रु. का ग्रेड वेतन) में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) के आधार पर भरने के लिए पात्र तथा इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए चयनित किए जाने वाले अधिकारीगण, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2009-ईएसटीटी. (पे-II) दिनांक 17.06.2010 तथा 01.03.2011 एवं कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/5/2012-ईएसटीटी (पे-II) दिनांक 30.11.2012 में विहित एवं समय-समय पर यथासंशोधित प्रतिनियुक्ति की निर्धारित शर्तों के अधीन कार्यरत् होंगे।

3. केवल ऐसे अधिकारियों/अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो उचित माध्यम द्वारा प्राप्त होगा तथा जिनके साथ निम्नलिखित संलग्नक होंगे : (i) संवर्ग स्वीकृति-पत्र (ii) संलग्न प्रारूप (अनुबंध–II) में बायो-डेटा (दो प्रतियों में) (iii) पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2012 से 2016 तक) के एसीआर की प्रतियां (प्रत्येक पृष्ठ पर रबर स्टैम्प के साथ) (iv) सतर्कता निकासी (v) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र और (vi) पिछले 10 वर्ष के दौरान अधिकारी पर लगाई गई छोटी या बड़ी शास्ति, यदि कोई हो, का विवरण। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र की अग्रिम प्रतियां, आवेदन-पत्र या आवश्यक प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

4. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक के रूप में आने वाले अधिकारी अपने मासिक वेतन के 20% की दर पर **विशेष सुरक्षा भत्ते** के माध्यम से लाभांवित होंगे।

5. प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) का अवधि, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. पुलिस उपाधीक्षक सौंपे गए मामलों का अन्वेषण/पूछताछ करेंगे। ऐसी शाखाओं, जहां अपर पुलिस अधीक्षक की तैनाती नहीं हैं, वहां कोई एक पुलिस उपाधीक्षक प्रशासन, स्थापना/लेखा से संबंधित कार्यों के निरीक्षण/पर्यवेक्षण में उक्त शाखा के पुलिस अधीक्षक की सहायता करेंगे तथा उन्हें पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) के रूप में पदस्थापित किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में वह उन कार्यों तथा दायित्वों का निर्वहन करेंगे जो उन्हें पुलिस अधीक्षक द्वारा सौंपा जाएगा।

Dy. No. 1523/SD 29/11/17 23.11.17 AD(GM) DSP(S) 29/11

7. चयनित हो जाने की स्थिति में तुरंत कार्यमुक्त किए जा सकने वाले पात्र तथा योग्य अधिकारियों के आवेदन, उप-निदेशक (कार्मिक), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 5-बी, 7वां तल, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 के पते पर भेजे जाए जिससे आवेदन-पत्र रोजगार समाचार में रिक्ति परिपत्र के प्रकाशन के साठ दिनों के भीतर पहुंच सके।

8. पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बाद में अपना अभ्यर्थन वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

9. विस्तृत पात्रता मानदंड (अनुबंध-I) तथा बायोडाटा के लिए प्रोफार्मा (अनुबंध-II) सीबीआई की वेबसाइट www.cbi.gov.in पर उपलब्ध है।

(डी.पी. सिंह)
प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)
के.अ.ब्यूरो, मु., नई दिल्ली

संलग्नकः यथोपरि।

सं. डीपीपर्स.1/2017/2618/8/28/2017-पर्स-1 दिनांकः 09.11.2017

आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्नकों सहित प्रतिलिपिः-

1) भारत/राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों के सभी मंत्रालय/ विभाग।
2) पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस महानिरीक्षक (सभी राज्य)।
3) महानिदेशक (सभी केन्द्रीय पुलिस संगठन)।
4) आयुक्तगण, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क तथा आयकर विभाग।
5) उप-सचिव, एवीडी-II, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6) के.अ.ब्यूरो के सभी जोन प्रमुख/शाखा प्रमुख से अनुरोध किया जाता है कि इन रिक्तियों का विस्तृत प्रचार किया जाए तथा योग्य अधिकारियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
7) प्रोग्रामर, सिस्टम प्रभाग, के.अ.ब्यूरो, मुख्यालय, नई दिल्ली को सीबीआई वेबसाइट पर अनुलग्नकों के साथ परिपत्र अपलोड करने के लिए।